

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(भरतपुर)

प्र0सं0 12/2022 (जी.सी.एम.एस.नम्बर: 2022/469)

व इजलास:- हेमन्त कुमार  
(R.A.S)

## उनवान

1. राजो
2. रामा
3. श्यामा

पुत्रियां खिल्लू जाति जादों ठाकुर नि0 अऊ तहसील डीग(भरतपुर)राज0

-प्रार्थीगण

## बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग (भरतपुर) राज0

-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136  
एल.आर.एक्ट,

## निर्णय

दिनांक: 06.01.2023

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट, इस आशय का पेश किया गया है कि खाता संख्या 143 के आराजी खसरा नम्बर 2833/0.34, एवं खाता संख्या 142 के आराजी खसरा नम्बरान 456/0.12, 457/0.29, 615/0.01, 645/0.49, व खाता संख्या 498के आराजी खसरा नम्बरान 614/0.26, 616/0.22, तथा खाता संख्या 66 के आराजी खसरा नम्बर 2753/0.22,वाके ग्राम अऊ तहसील डीग में स्थित है। उक्त आराजीयात में प्रार्थियान के नाम व प्रार्थिया की वहिन प्रेमवती के नाम प्रार्थियान के पिता खिल्लू का विरासत दाखिल खारिज खोला गया उसमें सही प्रकार प्रार्थियान को मृतक खिल्लू की पुत्रियां दर्ज कर दाखिल खारिज खोला गया था प्रार्थियान द्वारा नामा0 हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया था। मिसिल हकीयत में प्रार्थियान को मृतक खिल्लू की पुत्रियान के स्थान पर प्रार्थियान पिसरान खिल्लू होना दर्ज कर दिया गया है और प्रार्थियान की जमा0 में भी प्रार्थियान को मृतक खिल्लू की पुत्रियान के स्थान पर पिसरान खिल्लू दर्ज कर दिया गया है। इसके अलावा प्रार्थिया रामा का नाम सिर्फ खाता संख्या 66 में रामा के स्थान पर रामो पुत्री खिल्लू दर्ज कर दिया है व अन्य खातों में रामा सही प्रकार दर्ज किया जा रहा है।

अतः निवेदन है कि खाता संख्या 143 के आराजी खसरा नम्बर 2833/0.34, एवं खाता संख्या 142 के आराजी खसरा नम्बरान 456/0.12, 457/0.29, 615/0.01, 645/0.49, व खाता संख्या 498के आराजी खसरा नम्बरान 614/0.26, 616/0.22, तथा खाता संख्या 66 के आराजी खसरा नम्बर 2753/0.22,वाके ग्राम अऊ तहसील डीग में स्थित आराजीयात में प्रार्थियान को मृतक खिल्लू के पिसरान के स्थान पर पुत्रीयान खिल्लू राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने व खाता संख्या 66 में प्रार्थिया का नाम रामो के स्थान पर रामा दुरुस्त किये जाने की आज्ञा फरमायें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट, को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित अप्रार्थी/तहसीलदार डीग को जरिये नोटिस तलब कर रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार डीग ने पत्रांक: एलआर/2022/3954 दिनांक 02.11.2022 के द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट में अंकित है कि " वाके ग्राम अऊ तहसील डीग की जमाबन्दी खाता संख्या 143, 498,142 में राजो पुत्र खिल्लू,रामा पुत्र खिल्लू,श्यामा पुत्र खिल्लू जाति जादों ठाकुर सा अऊ

खातेदार है। ग्राम अऊ तहसील डीग में जॉच किये जाने पर उपस्थित गॉव वालों ने बताया कि रामो का नाम रामा है। राजो,रामा,श्यामा पुत्रियान खिल्लू है। प्रार्थीगण के पिसरान खिल्लू के स्थान पर पुत्रियान खिल्लू, रामो पुत्री खिल्लू के स्थान पर रामा पुत्री खिल्लू किया जाना उचित है।”

उक्तानुसार सम्बन्धित प्रार्थीगण के प्रा० पत्र में वर्णित तथ्यों व अप्रार्थी/तहसीलदार डीग द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि वर्णित आराजीयात में प्रार्थीयान को मृतक खिल्लू के पिसरान के स्थान पर पुत्रीयान खिल्लू राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने व खाता संख्या 66 में प्रार्थिया का नाम रामो के स्थान पर रामा दुरुस्त किये जाने की आज्ञा फरमायें।

पत्रावली पर उपलब्ध सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड तहसीलदार डीग से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन व वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। खाता संख्या 143 के आराजी खसरा नम्बर 2833/0.34, एवं खाता संख्या 142 के आराजी खसरा नम्बरान 456/0.12, 457/0.29, 615/0.01, 645/0.49, व खाता संख्या 498 के आराजी खसरा नम्बरान 614/0.26, 616/0.22, तथा खाता संख्या 66 के आराजी खसरा नम्बर 2753/0.22,वाके ग्राम अऊ तहसील डीग में स्थित आराजीयात में हम प्रार्थीयान को मृतक खिल्लू के पिसरान के स्थान पर पुत्रीयान खिल्लू राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने व खाता संख्या 66 में प्रार्थिया का नाम रामो के स्थान पर रामा दुरुस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि:-

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट, स्वीकार किया जाता है। खाता संख्या 143 के आराजी खसरा नम्बर 2833/0.34 एवं खाता संख्या 142 के आराजी खसरा नम्बरान 456/0.12, 457/0.29, 615/0.01, 645/0.49, व खाता संख्या 498 के आराजी खसरा नम्बरान 614/0.26, 616/0.22, में प्रार्थियान को पुत्र खिल्लू के स्थान पर पुत्री खिल्लू तथा खाता संख्या 66 के आराजी खसरा नम्बर 2753/0.22, में प्रार्थिया रामो के स्थान पर रामा जातियान जादों ठाकुर नि० वाके ग्राम अऊ तहसील डीग में स्थित आराजी में दुरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद हेतु निर्णय प्रति तहसीलदार डीग को भिजवाई जावे।

*Handwritten signature*

(हेमन्त कुमार)

उपखण्ड अधिकारी  
डीग (भरतपुर) राज

निर्णय आज दिनांक 06.01.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

*Handwritten signature*

(हेमन्त कुमार)

उपखण्ड अधिकारी,  
डीग (भरतपुर)

उप खण्ड अधिकारी  
डीग (भरतपुर) राज

